



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना अफजलगढ

दिनांक 06.04.2024

थाना अफजलगढ की एन्टी रोमियो टीम ने सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

### संक्षिप्त विवरण-

जनपद में महिला संबंधी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों की एन्टी रोमियो टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, पार्क आदि सार्वजनिक स्थानों पर मनचलों/शोहदों की चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में थाना अफजलगढ की एन्टी रोमियो टीम द्वारा आज दिनांक 06.04.2024 को चेकिंग के दौरान सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं/छात्राओं पर अश्लील टिप्पणी करने वाले अभियुक्त



तालिब पुत्र ताहिर नि० मौ० जैनुलाबेदीन कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु०अ०सं० 116/24 धारा 294 भादवि पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. तालिब पुत्र ताहिर नि० मौ० जैनुलाबेदीन कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-म०उ०नि० काजल तेवतिया थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

2-का० 1821 जाबिर खान थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

3-का० 293 राहुल कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट-रिजर्व पुलिस लाइन

दिनांक 06.04.2024

रिजर्व पुलिस लाइन, जनपद बिजनौर में आयोजित अन्तर्जनपदीय पुलिस वॉलीबाल, बास्केटबाल, हैण्डबाल, टेबिल टेनिस, सेपक टकरा एवं योगा प्रतियोगिता बरेली जोन, बरेली वर्ष - 2024, का द्वितीय दिन।

रिजर्व पुलिस लाइन्स जनपद बिजनौर में दिनांक 05.04.2024 से 07.04.2024 तक आयोजित होने वाली अन्तर्जनपदीय पुलिस वॉलीबाल, बास्केटबाल, हैण्डबाल, टेबिल टेनिस, सेपक टकरा एवं योगा प्रतियोगिता बरेली जोन बरेली वर्ष-2024 के द्वितीय दिन आयोजित की गयी प्रतियोगिताओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

#### पुरुष योगा:-

पुरुष योगा प्रतियोगिता का आयोजन आज दिनांक 06.04.2024 को पुलिस लाइन बिजनौर के बैडमिन्टन हॉल में कराया गया जिसमें बरेली जोन की 07 टीमों ने भाग लिया, जिसमें जनपद बिजनौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया एवं जनपद सम्भल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

#### महिला योगा:-

महिला योगा प्रतियोगिता का आयोजन आज दिनांक 06.04.2024 को पुलिस लाइन बिजनौर के बैडमिन्टन हॉल में कराया गया जिसमें जनपद बिजनौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया एवं जनपद बरेली ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

#### सेपक टकरा:-

सेपक टकरा का प्रथम मैच जनपद बिजनौर व रामपुर के बीच खेला गया, जिसमें बिजनौर की टीम ने विजय प्राप्त की, दूसरा मैच जनपद मुरादाबाद व बरेली के बीच खेला गया, जिसमें बरेली की टीम ने विजय प्राप्त की, फाइनल मैच जनपद बिजनौर व बरेली के बीच खेला गया जिसमें बिजनौर की टीम ने विजय प्राप्त की।



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट- थाना रेहड

दिनांक 06.04.2024

थाना रेहड पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 80 / 23 धारा 457 / 380 भादवि में वांछित अभियुक्त को चोरी गये इन्वर्टर व अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.09.2023 को वादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह नि0 ग्राम अल्हैपुर थाना रेहड जनपद बिजनौर ने थाना रेहड पर तहरीर दी कि दिनांक 21 / 22.09.2023 की रात्रि में अज्ञात चोरो द्वारा स्कूल में रखे सामान बैटरा व इन्वर्टर आदि चोरी कर लिये है। तहरीर के आधार पर थाना रेहड पर मु0अ0सं0 80 / 23 धारा 457 / 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र बलवीर सिंह नि0 ग्राम पूरनपुर थाना जसपुर जनपद उधमसिंहनगर का नाम प्रकाश में आया।



कार्यवाही-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.04.2024 को थाना रेहड पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 80 / 23 धारा 457 / 380 भादवि में वांछित अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र बलवीर सिंह नि0 ग्राम पूरनपुर थाना जसपुर जनपद उधमसिंहनगर(उ0खण्ड) को चोरी गये 01 इन्वर्टर सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद किये गये। अवैध शस्त्र बरामदगी के संबंध में थाना रेहड पर मु0अ0सं0 51 / 24 धारा 3 / 25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.सुनील कुमार पुत्र बलवीर सिंह नि0 ग्राम पूरनपुर थाना जसपुर जनपद उधमसिंहनगर

बरामदगी का विवरण-

- 1- एक चोरी किया गया इन्वर्टर।
- 2- 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस ।

## आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 365 / 2023 धारा 379 / 411 भादवि थाना जसपुर जनपद उधमसिंहनगर
2. मु0अ0सं0 12 / 2024 धारा 379 / 411 भादवि थाना जसपुर जनपद उधमसिंहनगर
3. मु0अ0सं0 51 / 2024 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना रेहड जनपद बिजनौर

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर।
- 2-उ0नि0 श्री भीम सिंह थाना रेहड जनपद बिजनौर।
- 3-का0 1247 रोहित कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर।
- 4-का0 1988 हरिवंश वर्मा थाना रेहड जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना धामपुर

दिनांक 06.04.2024

**थाना धामपुर पुलिस द्वारा धोखाधडी के 09 अभियोगों में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

श्रीमती मंजू सागर पुत्री श्री रामफूल सिंह निवासी ग्राम मुंडिया राजा जनपद मुरादाबाद, जो थाना धामपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अल्हेपुर की पंजाब नेशनल बैंक शाखा में मैनेजर के पद पर नियुक्त है।

श्रीमती मंजू सागर उपरोक्त ने थाना धामपुर पर 09 अभियुक्तगणों के विरुद्ध पंजाब नेशनल बैंक अल्हेपुर शाखा के तत्कालीन बैंक अधिकारीगण व कर्मचारियों से हमसाज होकर बैंक के साथ धोखाधडी करके बेईमानी पूर्वक 03 तथा 04 लाख रुपये का कृषि ऋण

प्राप्त करने के संबंध में 1- मु0अ0सं0 19/24 धारा 420/467/468/471 भादवि बनाम पवन कुमार 2- मु0अ0सं0 20/24 धारा 420/467/468/471 भादवि बनाम वीर सिंह 3- मु0अ0सं0 23/24 धारा 420/467/468/471 भादवि बनाम भगवती देवी 4- मु0अ0सं0 24/24 धारा 420/467/468/471 भादवि बनाम दयाराम 5- मु0अ0सं0 35/24 धारा 420/467/468/471 भादवि बनाम निर्मल सिंह 6- मु0अ0सं0 36/24 धारा 420/467/468/471 भादवि बनाम यादराम सिंह 7- मु0अ0सं0 47/24 धारा 420/467/468/471 भादवि बनाम राजपाल सिंह 8- मु0अ0सं0 48/24 धारा 420/467/468/471 भादवि बनाम रामकुमार 9- मु0अ0सं0 49/24 धारा 420/467/468/471 भादवि बनाम राम सिंह उपरोक्त पंजीकृत कराया गया।



## कार्यवाही का विवरण –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धामपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 19/24, 20/24, 23/24, 24/24, 35/24, 36/24, 47/24, 48/24, 49/24 में विवेचनात्मक कार्यवाही में प्रकाश मे आये अभियुक्त राम अवतार प्रसाद पुत्र सुकई निवासी बुद्ध विहार थाना मंझोला जनपद मुरादाबाद (पूर्व बैंक मेनेजर, पंजाब नेशनल बैंक , अल्हेपुर शाखा) को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राम अवतार प्रसाद पुत्र सुकई निवासी बुद्ध विहार थाना मंझोला जनपद मुरादाबाद ।

## आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त -

- 1- मु0अ0सं0 19/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 2- मु0अ0सं0 20/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 3- मु0अ0सं0 23/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 4- मु0अ0सं0 24/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 5- मु0अ0सं0 35/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 6- मु0अ0सं0 36/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 7- मु0अ0सं0 47/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 8- मु0अ0सं0 48/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 9- मु0अ0सं0 49/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1- श्री अत्ता मोहम्मद, अपराध निरीक्षक थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 2- आरक्षी मोनू कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट- थाना धामपुर

दिनांक 06.04.2024

थाना धामपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 158/24 धारा 380/411 भादवि से संबंधित अभियुक्त को चोरी के गैस सिलेण्डर सहित किया गिरफ्तार।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.04.2024 को वादी श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र रमाकांत तिवारी ग्राम भेकयां थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर हाल निवासी टीन शेड कॉलोनी थाना धामपुर जनपद बिजनौर के घर में घुसकर अभियुक्त समीर यादव पुत्र राम अवध निवासी शुगर मिल सुंदरम कॉलोनी थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी का गैस सिलेण्डर कर लेने के संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 158/24 धारा 380/411 भादवि बनाम समीर यादव उपरोक्त पंजीकृत किया गया।



### कार्यवाही-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.04.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 158/24 धारा 380/411 भादवि से संबंधित अभियुक्त समीर यादव पुत्र राम अवध नि0 शुगर मिल सुंदरम कॉलोनी थाना धामपुर जनपद बिजनौर को चोरी गये गैस सिलेण्डर सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. समीर यादव पुत्र राम अवध नि0 शुगर मिल सुंदरम कॉलोनी थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

### बरामदगी का विवरण-

1- 01 गैस सिलेण्डर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना अफजलगढ

दिनांक 06.04.2024

**“ऑपरेशन स्माइल” अभियान के अन्तर्गत थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा गुमशुदा नाबालिक बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया ।**

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 14.02.2024 को वादी द्वारा अपने 13 वर्षीय बेटे के घर से बिना बताये चले जाने तथा खोजबीन के बाद भी कोई पता न चलने के संबंध में थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर पर तहरीर दी । वादी की तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अं0सं0 44/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया । गुमशुदा बच्चे की सकुशल बरामदगी हेतु टीम गठित की गई ।



### कार्यवाही:-

जनपद में अपहृत / गुमशुदा व्यक्तियों की सकुशल बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन स्माइल” के क्रम में थाना अफजलगढ पर गठित पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा बच्चे को दिल्ली से सकुशल बरामद किया गया तथा विधिक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त परिजनों को सुपुर्द किया गया ।

### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. श्री पुष्कर महेरा, थाना प्रभारी अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
2. उ0नि0 सुमित राठी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
3. मुख्य आरक्षी 540 पुष्पेन्द्र थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
4. आरक्षी 1821 जाबिर खान थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।





जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट:- थाना मंडावर

दिनांक 06.04.2024

**थाना मंडावर पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही:-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.04.2024 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त आलम पुत्र बुन्दु नि0 ग्राम खिरनी थाना मंडावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आलम पुत्र बुन्दु नि0 ग्राम खिरनी थाना मंडावर जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 राकेश कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर
2. आरक्षी 1414 राजीव कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर